मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970

विषय-सूची

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार
2. परिभाषाएँ

अध्याय 2

चिकित्सा की आयुर्वेदिक तथा यूनानी यथा प्राकृतिक चिकित्सा के मध्यप्रदेश बोर्ड की स्थापना और गठन

3. बोर्ड की स्थापना
4. बोर्ड का गठन
5. चुनाव की पद्धति
6. सदस्यता हेतु योग्यताएँ तथा अयोग्यताएँ
7. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल
8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र
9. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
10. सदस्य बने रहने हेतु निर्बलताएँ
11. आकस्मिक रिक्तियाँ भरना

अध्याय 3

कार्यो का संचालन

12. बोर्ड की बैठक
13. बैठक का अध्यक्ष
14. प्रश्नों पर बहुमत से निर्णय
15. कोरम
16. कार्यवाहियों के विवरण
17. रिक्ति से कार्यवाहियां आदि अवैध नहीं
18. सदस्यों को भत्ते

अध्याय 4

बोर्ड की शक्तियाँ, कर्त्तव्य तथा कार्य

19. बोर्ड की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कार्य

अध्याय 5

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी

20. बोर्ड के रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी
21. रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य

अध्याय 6

बोर्ड की निधि

22. बोर्ड निधि

23. उद्देश्य जिनके लिए बोर्ड निधि उपयोग की जा सकेगी

अध्याय 7

व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

24. राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर
25. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत किया जाए तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क
26. अतिरिक्त योग्यताओं का रजिस्ट्रीकरण
27. निदान गृह (क्लीनिक) व्यवसाय हेतु रजिस्ट्रीकरण
28. व्यवसाय में व्यक्तियों की सूची रखना, उनको छोड़कर जो रजिस्ट्रीकरण के पात्र हैं और जो राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में नामांकित समझे गए हैं
29. बोर्ड की राज्य के व्यवसायी रजिस्टर अथवा सूची में नाम की प्रविष्टि पर रोक अथवा नाम हटाने का निर्देश देने की शक्ति
30. सूची का पुनरीक्षण
31. जाँच की प्रक्रिया
32. बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील
33. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के विशेषाधिकार

अध्याय 8

सामान्यत: व्यवसायी

34. इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के सिवाय किसी व्यक्ति के व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध
35. दण्ड ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

36. राज्य शासन द्वारा नियन्त्रण
37. अनुसूची का संशोधन
38. बोर्ड के कर्मचारी को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बुलाने पर प्रतिबन्ध
39. इस अधिनियम के अन्तर्गत करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण
40. इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का परीक्षण करने अथवा संज्ञान लेने में सक्षम न्यायालय
41. जाँच-पड़ताल पर कार्य करने से मुक्ति

अध्याय 10

नियम तथा विनियम

42. नियम बनाने की शक्ति
43. विनियम बनाने की शक्ति

अध्याय 11

निरसन

44. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन
45. अध्यादेश क्रमांक 14, सन् 1970 का निरसन
    - अनुसूची

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970

(राष्ट्रपति की स्वीकृति 30 जनवरी 1971 को प्राप्त हुई, स्वीकृति का प्रथम प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण में दिनांक 1 फरवरी, 1971 को हुआ ।)

यह अधिनियम निम्न अधिनियमों द्वारा संशोधित हुआ-

1. म० प्र० ऐक्ट क्र० 14 सन् 1974
2. म० प्र० ऐक्ट क्र० 6 सन् 1975
3. म० प्र० ऐक्ट क्र० 13 सन् 1977
4. म० प्र० ऐक्ट क्र० 9 सन् 1979
5. म० प्र० ऐक्ट क्र० 28 सन् 1984
6. म० प्र० ऐक्ट क्र० 21 सन् 1989

मध्यप्रदेश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधन करने हेतु, राज्य हेतु आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धतियों और प्राकृतिक चिकित्सा के बोर्ड के गठन हेतु और प्राकृतिक चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने हेतु, और इनसे सम्बन्धित मामलों हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम ।

भारतीय गणतन्त्र के इक्कीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित किया जाए-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार-(1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा ।

2. परिभाषाएँ --इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है कोई चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र अथवा कोई अन्य ऐसी संस्था, जिसमें कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों अथवा प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में किसी चिकित्सा योग्यता के प्रदाय के पूर्व उसके पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण ले सके, यदि कोई हो;

(ख) "आयुर्वेदिक पद्धति' ' से अभिप्रेत है अष्टाँग आयुर्वेदिक पद्धति और इसमें सम्मिलित हे सिद्ध, चाहे वह ऐसी आधुनिक प्रसंगतियों से पूर्व हो अथवा नहीं जैसी बोर्ड समय- समय पर निर्धारित करे;

(ग) "बोर्ड" अभिप्रेत है धारा 3 और धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित एवं गठित मध्यप्रदेश का आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों और प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड;

(घ) "नामांकित व्यवसायीं' से अभिप्रेत है वह व्यवसायी जिसका नाम धारा 28 के अन्तर्गत रखी गई

सूची में प्रविष्ट किया गया हो;

(ङ) "प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति" से अभिप्रेत है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियों से पूर्ण हो अथवा नहीं जैसी बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे;

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष;

(छ) "व्यवसायी" से अभिप्रेत है आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का कोई व्यवसायी;

(ज) "मान्यता प्राप्त योग्यता" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति योग्यता;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसका नाम राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो अथवा जो इस अधिनियम के प्राव- धानों हेतु नामांकित माना गया हो;

(ञ) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा 43 के अन्तर्गत बनाए गये विनियम;

(ट) "राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर" से अभिप्रेत है धारा 24 के अन्तर्गत रखा गया रजिस्टर;

(ठ) "यूनानी पद्धति" से अभिप्रेत है यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियों से पूर्ण हो अथवा नहीं जैसी बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करे ।

अध्याय 2
चिकित्सा की आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति तथा प्राकृतिक चिकित्सा के मध्यप्रदेश बोर्ड की स्थापना और गठन

3. बोर्ड की स्थापना-(1) राज्य शासन, यथाशीघ्र अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट ऐसे दिनांक से प्रभावशील आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बोर्ड की स्थापना कर सकेगा ।

(2) बोर्ड मध्यप्रदेश का आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति, और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड के नाम से निगम निकाय होगा और उसे स्थाई उत्तराधिकार और सामान्य शील का अधिकार होगा और उसे चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अधिग्रहण और धारण का अधिकार होगा और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति का अन्तरण करने की शक्ति प्राप्त होगी और गठन के अभिप्रायों हेतु आवश्यक सभी संविदा और अन्य सभी कार्य करने का अधिकार होगा और अपने नाम से वाद लाने और वाद लड़ने का अधिकार होगा ।

4. बोर्ड का गठन-, (1) बोर्ड में सम्मिलित होंगे-

[1][(क) संयुक्त निर्देशक, आयुर्वेद;

[2][(ख) उप निर्देशक, आयुर्वेद;

(ग) सहायक निर्देशक आयुर्वेद;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा अपने में से निर्वाचत, राज्य के प्रत्येक आयुक्त संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;

परन्तु यह कि यदि रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी इस अधिनियम अथवा इसके अर्न्तगत बनाए गये

नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किसी संभाग में कोई सदस्य निर्वाचित नहीं करते, तो राज्य शासन रिक्त स्थान के लिए ऐसे संभाग से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को मनोनीत करेगा और इस प्रकार मनोनीत व्यक्ति इस कंडिका के अन्तर्गत वैधानिक रूप से निर्वाचन माना जाएगा ।

(ड़) आगे और यह भी, प्रथम बोर्ड के गठन हेतु राज्य शासन ऐसे सदस्यों का मनोनयन करेगा; राज्य शासन द्वारा कम से कम 5 और 10 से अनधिक सदस्य मनोनीत किये जाऐगें जिनमें से कम से कम-

(एक) एक राज्य के शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक वर्ग में से होगा जो एक मात्र आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुदेशन का कार्य करता हो

(दो) उपरोक्त उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट को छोड़कर एक राज्य के शासकीय महा- विद्यालयों के शिक्षक वर्ग में से होगा, जो एक मात्र आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुदेशन का कार्य करता हो

(तीन) आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों में से प्रत्येक में से एक होगा ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के निर्वाचत सदस्यों में से ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए ।

परन्तु यह कि प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष का मनोनयन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्वाचित अथवा मनोनीत प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

5. चुनाव की पद्धति-(1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत चुनाव का संचालन बोर्ड द्वारा ऐसे नियमों के अनुरूप किया जायेगा जो राज्य शासन द्वारा इस निमित्त निर्मित किए जाएँ ।

(2) बोर्ड के लिये किसी चुनाव के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे राज्य शासन को ऐसी अवधि के भीतर अग्रेषित किया जाएगा जो विहित की जाए और उस पर राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. सदस्यता हेतु योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ-(1) कोई व्यक्ति तब तक धारा 4 के अन्तर्गत निर्वाचित अथवा मनोनयन का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी न हो और राज्य में निवास न करता हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित अथवा मनोनीत किए जाने हेतु अयोग्य होगा-

(क) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

(ख) यदि वह अमुक्त दीवालिया है; अथवा

(ग) यदि वह विक्षिप्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित है; अथवा

(घ) यदि वह किसी दण्ड न्यायालय द्वारा 6 मास से अधिक के कारावास हेतु दण्डनीय किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है और जो दण्ड बाद में न तो रद्द किया गया है और न उससे मुक्ति दी गई है और ऐसे व्यक्ति को दण्ड द्वारा उत्पन्न अयोग्यता राज्य शासन के किसी आदेश द्वारा छूट नहीं दी गई है; अथवा

(ङ) यदि वह बोर्ड का कर्मचारी है और उसे वेतन अथवा मानसवी भत्तों (इस अभिव्यक्ति में फीस अथवा कमीशन सम्मिलित नहीं है) का भुगतान किया जाता है; अथवा

(च) यदि उसका नाम राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में से काट दिया गया है ।

7. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल- (1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर, धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत निर्वाचित अथवा खण्ड (ड़) के अन्तर्गत मनोनीत बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल उस दिनांक से प्रारम्भ होकर जब नए बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित की जाए, पाँच वर्ष होगा ।

परन्तु यह कि प्रथम बार गठित बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, बोर्ड की प्रथम बैठक के दिनांक से, 3 वर्ष होगा ।

(2) उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से 1 वर्ष होगा ।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल के अवसान पर भी निर्वतमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य, जैसी भी स्थित हो, तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी का निर्वाचन अथवा मनोनयन नहीं हो जाता ।

(4) निर्वतमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य पूर्ननिर्वाचित अथवा पुर्नमनोनयन मनोनयन, जैसी भी स्थिति हो, के पात्र होंगे ।

8. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा त्यागपत्र- अध्यक्ष किसी भी समय, उपाध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए पत्र लिखकर, अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी भी समय, अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य का त्याग-पत्र तब तक प्रभावशील नहीं होगा, जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत न किया जाए ।

9. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव–(1) बोर्ड द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वाले बोर्ड के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सयेगा और ऐसा बहुमत तत्समय बोर्ड का गठन करने वाले कुल सदस्यों के आधे से अधिक होगा ।

परन्तु यह कि इस अभिप्राय हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के इरादे का कम से कम 14 दिन का सूचना-पत्र न दे दिया गया हो ।

(2) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध उपधारा (1) अन्तर्गत प्रस्ताव पारित किया गया हो, तत्काल पद से अलग हो जाएगा और अध्यक्ष के पद से हटाये जाने की स्थिति में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कार्यों का तब तक निर्वाह करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जाए ।

10. सदस्य बने रहने हेतु निर्बलताएँ-(1) यदि कोई सदस्य अथवा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष निर्वाचित अथवा मनोनीत होने पर-

(क) बाद में धारा 6 में उल्लेखित अयोग्यताओं में से किसी के अन्तर्गत आता है; अथवा

(ख) विधि व्यवसाय होने पर, किसी वैधानिक कार्यवाही में, व्यवहार अथवा दाण्डिक जिसमें बोर्ड सम्बन्धित है, अथवा रहा है किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बोर्ड अथवा राज्य शासन के विरुद्ध, कार्य करता है अथवा उपास्थित होता है; अथवा

(ग) बोर्ड की तीन लगातार सामान्य बैठकों से बोर्ड के मतानुसार बिना पर्याप्त कारणों के अनुपस्थित रहता है;

तब बोर्ड उसका पद रिक्त हुआ घोषित कर सकेगा ।

परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत तब तक कोई घोषणा नही की जायेगी, जब तक सम्बन्धित सदस्य को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अन्तर्गत की गई घोषणा से दुखित कोई व्यक्ति, ऐसी घोषणा के दिनांक से 90 दिन के अन्दर, राज्य शासन को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में राज्य शासन का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. आकस्मिक रिक्तियाँ भरना-यदि बोर्ड का कोई सदस्य मृत हो जाता है अथवा त्याग-पत्र दे देता है अथवा किसी भी कारण से सदस्य नहीं रहता तो इस प्रकार हुई रिक्ति अथवा शीघ्र निर्वाचन अथवा मनोनयन द्वारा भर दी जायेगी, जैसी भी स्थिति हो, और इस प्रकार निर्वाचित अथवा मनोनीत व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के शेष बचे कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा ।

अध्याय 3
कार्यो का संचालन

12. बोर्ड की बैठकें-बोर्ड की बैठक किसी भी कलैण्डर वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर और बोर्ड की प्रत्येक बैठक ऐसी रीति में बुलाई जाएगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाएँ ।
परन्तु यह कि जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाए जाते तब तक बोर्ड के अध्यक्ष के लिए वैधानिक होगा कि वह प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित करते हुए पत्र लिखकर, स्पष्ट पन्द्रह दिन का सूचना-पत्र देकर, बोर्ड की बैठक ऐसे संमय और स्थान पर बुला सके ।

13. बैठक का अध्यक्ष-बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को इस अभिप्राय हेतु निर्वाचित कर लेंगे ।

परन्तु यह कि धारा 9 के अभिप्राय हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करेगा जो विहित प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाये ।

14. प्रश्नों पर बहुमत से निर्णय-इस अधिनियम द्वारा अथवा के अन्तर्गत अन्यथा उपबन्धों को छोड़कर, बोर्ड की किसी बैठक में लाए गये समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत किये जायेंगे और मतों की बराबरी की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी को दूसरा अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

परन्तु यह कि बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्वाचन को बैठक में अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी दूसरा अथवा निर्णायक मत नहीं देगा और परिणाम का निर्णय लाटरी द्वारा किया जायेगा ।

15. कोरम - किसी सभा में तब तक कोई कार्य सम्पन्न नहीं किया जायेगा जब तक कम से कम सात सदस्यों का कोरम बैठक चलते रहने तक लगातार उपस्थित न हो;

परन्तु यह कि स्थगित की गई बैठक में कार्य किया जा सकेगा, चाहे कोरम उपस्थित हो या नहीं ।

16. कार्यवाहियों के विवरण-(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के विवरण इस अभिप्राय हेतु पुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगे और उस पर अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसी बैठक में अथवा अगली बैठक में हस्ताक्षर किए जाएँगे ।

(2) बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियाँ गोपनीय रहेंगी और बोर्ड का कोई सदस्य, कार्य- वाहियों के विवरण की सूचना किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देगा और न देने की अनुमति देगा जो सदस्य के रूप में उसकी जानकारी में आए हैं, सिवाय बोर्ड की पुर्वानुमति द्वारा ।

17. रिक्ति से कार्यवाहियाँ आदि अवैध नहीं-बोर्ड का कोई कार्य अवैध नहीं होगा, मात्र इस कारण से कि-

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि है, अथवा
(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन अथवा मनोनयन में कोई त्रुटि है; अथवा
(ग) प्रकरण के गुण-दोष को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया में कोई अनियमितता है |

18. सदस्यों को भत्ते-(1) बोर्ड के सदस्य ऐसे यात्रा एवं अन्य भत्ते पाने के अधिकारी होंगे जो विहित किये जाएँ ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट भुगतान को छोड़कर कोई सदस्य अन्य भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।

अध्याय 4
बोर्ड की शक्तियाँ कर्तव्य और कार्य

19. बोर्ड की शक्तियाँ कर्तव्य और कार्य–(1) इस अधिनियम और इसके अन्र्तगत बनाए गये नियमों

के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्य सम्पन्न करेगा जो वह इस अधिनियम के अभिप्रायों को कार्यरूप देने हेतु आवश्यक समझे ।

(2) विशिष्ट तथा पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य होंगे-

(अ) राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर और व्यवसायियों की सूची रखना जैसा कि धारा 24 तथा 28 के अन्र्तगत, अनुक्रमानुसार, अपेक्षित है,

(आ) रजिस्टर के किसी निर्णय के विरुद्ध ऐसी रीति में अपील की सुनवाई करना जो विहित की जाए,

(इ) रजिस्ट्रीकृत तथा सूची बद्ध व्यवसायियों के व्यवसायिक आचरण के विनियमन हेतु आचार संहिता विहित करना,

(ई) किसी रजिस्ट्रीकृत अथवा सूची बद्ध व्यवसायी को चेतावनी देना अथवा उसे राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर से अथवा सूची से, जैसी भी स्थिति हो निलंबित करना अथवा हटाना अथवा उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जो बोर्ड के मतानुसार आवश्यक तथा सामयिक हो ।

अध्याय 5
रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी

20. रजिस्ट्रार तथा बोर्ड के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी–(1) बोर्ड एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा जो बोर्ड का सचिव होगा ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियोजित करेगा जो उसे इस अधिनियम के अभिप्रायों को कार्यरूप देने हेतु आवश्यक प्रतीत हो ।

(3) रजिस्ट्रार के विषय में योग्यताएँ, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें और वेतनमान ऐसे होंगे जो वहित किये जाएँ और अन्य कर्मचारियों के विषय में ऐसे होंगे जो बोर्ड, राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति द्वारा, विनियमों से निर्धारित करे ।

(4) बोर्ड रजिस्ट्रार से अथवा किसी अन्य अधिकारी से इसके कर्तव्यों के उचित पात्रन हेतु, ऐसी प्रतिभूत की अपेक्षा करेगा और लेगा, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(5) बोर्ड द्वारा इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार अथवा कोई अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का क्रमांक 45) की धारा 21 के अर्थो में लोक सेवक माना जायेगा ।

21. रजिस्ट्रार के कर्तव्य- (1) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर रखे और समय-समय पर विहित रीति में उसे परिवर्तित करे और ऐसे अन्य कार्य करे जो इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अन्तर्गत उसके द्वारा किये जाना अपेक्षित हों अथवा विहित किया जाए ।

(2) रजिस्ट्रार इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर हर समय सही हो

तथा वह समय-समय पर उसमें किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के पते अथवा योग्यता में हुये पर्याप्त परिवर्तन की प्रविष्टि करे ।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम जिसकी मृत्यु हो जाये अथवा जिसका नाम धारा 29 के अन्तर्गत रजिस्टर से हटाने का निर्देश प्राप्त हो, उसे रजिस्टर से हटाया जायेगा ।

(4) इस धारा के अभिप्रायों हेतु रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी हो, राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में उसके नाम के सामने प्रविष्ट पते पर, पावती अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पत्र भेज सकेगा जिसमें उससे पूछा जायेगा कि क्या उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया है अथवा अपना पता बदल दिया है और यदि व्यवसायी द्वारा पत्र की प्राप्ति से 6 माह के अन्दर उक्त पत्र का कोई उत्तर नहीं आता तो रजिस्ट्रार उस व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटा देगा और इस तथ्य को ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा जो वहित की जाये ।

परन्तु प्रावधान यह है कि यदि बोर्ड का समाधान हो जाये, उक्त व्यवसायी द्वारा आवेदन किये जाने पर, कि उसके व्यवसाय नहीं छोड़ा है तो बोर्ड उसके नाम को रजिस्टर में पुन: चढ़ाने हेतु निर्देश दे सकेगा ।

अध्याय 6
बोर्ड की निधि

22. बोर्ड निधि–(1) बोर्ड एक निधि स्थापित करेगा जो बोर्ड निधि कहलायेगी ।

(2) निम्न राशियाँ बोर्ड निधि का अंग बनेगी अथवा उसमें जमा की जायेगी-

(अ) केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा दिया गया कोई अंश अथवा अनुदान,

(आ) बोर्ड की समस्त स्रोतों से आय जिसमें फीस एवं अर्थदण्ड से आय सम्मिलित है,

(इ) न्यास, उपहार, दान, धर्मादा तथा अन्य अनुदान, अदि कोई हो,

(ई) बोर्ड द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

23. उद्देश्य जिनके लिये बोर्ड निधि उपयोग की जा सकेगी-(1) बोर्ड निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जायेगी-

(अ) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अभिप्रायों हेतु लिये गये कर्जों को चुकाने में,

(आ) किसी वाद अथवा कार्यवाही के व्ययों में जिसमें बोर्ड एक पक्षकार हो,

(इ) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के भुगतान में,

(ई) बोर्ड के पदाधिकारियों को भत्तों के भुगतान में,

(उ) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिये किये गये किन्हीं खर्चों के भुगतान में,

(ऊ) बोर्ड द्वारा घोषित आयु विज्ञान शिक्षा, शोध तथा प्रशिक्षण को उत्साहित तथा विकसित करने हेतु किये गये कोई अन्य खर्च जो आयु विज्ञान व्यवसाय के सामान्य हितों में हों ।

अध्याय 7
व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

24. राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर-(1) बोर्ड मध्यप्रदेश में निवास करने वाले व्यवसायियों का एक रजिस्टर विहित रीति में रखवायेगा जो राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर कहलायेगा ।

(2) राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर ऐसे प्रारूप में रहेगा जो विहित किया जाये और उसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम, पता और योग्यताओं का समावेश होगा, साथ में वह दिनांक जब ऐसी योग्यतायें प्राप्त की गई ।

(3) ऐसी रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का क्रमांक 1) के अर्थों में, लोक दस्तावेज माना जायेगा ।

25. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत किया जाय तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क-(1) मान्यता प्राप्त योग्यतायें रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रार को ऐसी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने और एक सौ रुपये से अनाधिक फीस का भुगतान करने पर, जो वहित की जाये, राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में नामांकन हेतु पात्र होगा ।

(2) राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर मैं अपने नाम को प्रविष्ट कराने के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोर्ड का समाधान करेगा कि वह कोई योग्यता प्राप्त है जो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु अधिकार देती है और वह रजिस्ट्रार को उस दिनांक की सूचना देगा जब उसने ऐसी योग्यता प्राप्त की थी और ऐसी अन्य सूचना भी देगा जो रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अन्तर्गत उसके कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिये अपेक्षा करे ।

26. अतिरिक्त योग्यताओं का रजिस्ट्रीकरण-यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में प्रविष्ट है, आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति में अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में कोई पदवी, डिप्लोमा अथवा अन्य योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वह, इस हेतु विहित रीति में आवेदन करके और 5 रुपये फीस का भुगतान करके राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में अपने नाम के सामने, पूर्व में की गई प्रविष्ट के स्थान पर ऐसी अन्य पदवी, डिप्लोमा अथवा अन्य योग्यता का प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त रूप में जुड़वाने का अधिकारी होगा ।

27. निदानगृह (क्लीनिक) व्यवसाय हेतु रजिस्ट्रीकरण - यदि कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त योग्यता की प्राप्ति हेतु पड़े जाने वाले पाठ्यक्रम में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षण की अवधि सम्मिलित है और ऐसी योग्यता के प्रदाय के पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति को इस हेतु आवेदन किये जाने पर राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में अन्तरिम रजिस्ट्रीकरण का प्रदाय किया जा सकेगा, ताकि वह उपरोक्त प्रशिक्षण अवधि में किसी स्वीकृत संस्था में चिकित्सा का व्यवसाय कर सके ।

28. व्यवसाय में व्यक्तियों की सूची रखना उनको छोड़कर जो रजिस्ट्रीकरण के पात्र हैं और जो राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में नामांकित समझे जायेंगे–(1) बोर्ड उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार कराएगा

।

(क) (मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 6 सन् 1975 द्वारा लुप्त ।)

(ख) जो राज्य में धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिनांक से तुरन्त पूर्व कम से कम 5 वर्ष से (अवपश्चात् इस धारा में "विनिर्दिष्ट" दिनांक उल्लिखित) आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का लगातार व्यवसाय करते रहे हैं और ऐसा व्यवसाय उनके जीवन यापन का एक मात्र साधन रहा है और जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं हैं अथवा जो धारा 44 की उपधारा (1) की कंडिका (ङ) के अर्न्तगत राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में नामांकित नहीं माने गये हैं ।

(2) रूपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाला व्यवसायी जो अपना नाम उसमें उल्लिखित सूची में चढ़वाना चाहता है, विनिर्दिष्ट दिनांक से 1 (पाँच वर्ष) के. अन्दर रजिस्ट्रार का 50 रुपये से अनाधिक ऐसी फीस के साथ जो विहित किया जाए, विहित प्रारूप में एक आवेदन-पत प्रस्तुत करेगा ।

[2](" " ")विलुप्त

(3) बोर्ड जाँच करने के पश्चात्- -

[3][(क) मध्य-प्रदेश अधिनियम क्रमांक 6 सन् 1975 द्वारा विलुप्त ।

(क) उपधारा (1) की कंडिका ख के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के विषय में उनके राज्य में आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का व्यवसाय करने के तथ्य के बारे में, जैसा उक्त कंडिका में कथन है ऐसा समाधान हो जाने पर कि आवेदक उपधारा (1) कि कंडिका (ख) में दी गई अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, जैसी भी स्थिति हो, आवेदक का नाम सूची चढा सकेगा ।

(4) वह व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में सम्मिलित है धारा 33 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को प्राप्त सभी विशेषाधिकारों का अधिकार होगा ।

(5) रजिस्ट्रार, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तथा शीघ्र अथवा उस अवधि के पश्चात् जो उसके अन्तर्गत बढाई जाय, उपधारा (1) के अन्तर्गत तैयार की गई व्यक्तियों की सूची में राजपत्र में, प्रकाशित करेगा और ऐसी सूची का प्रकाशन, किसी व्यक्ति की जिसका नाम उसमें सम्मिलित है, उन विशेषाधिकारों की, पात्रता का निर्णायक प्रमाण होगा जिनका वह उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिकारी है ।

[4][(6) कोई सूचीबद्ध व्यवसायी, राज्य में आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के व्यवसाय के तीस वर्ष पूरे करने पर और 48 वर्ष की आयु होने पर, राज्य के व्यवसायियों हेतु रजिस्टर में नामांकन का पात्र होगा और धारा 25 के उपबन्ध ज्यों के त्यों ऐसे नामांकन पर लागू होंगे ।

29. बोर्ड की राज्य के व्यवसायी रजिस्टर अथवा सूची में नाम की प्रविष्टि पर रोक अथवा नाम हटाने का निर्देश देने की शक्ति- (1) बोर्ड रजिस्ट्रार द्वारा अग्रेषण पर अथवा अन्यथा राज्य के व्यवसायी रजिस्टर में अथवा धारा 28 के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में किसी व्यक्ति का नाम चढाने पर रोक लगाने अथवा

उसमें से नाम काटने का आदेश कर सकेगा-

(क) जो किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है जो उसके त्रुटि का संकेत देता है जिससे. बोर्ड के मतानुसार, उसका रजिस्टर अथवा सूची में नाम चढ़ाना अथवा बना रहना अवांछनीय हो जाता है, जैसी भी स्थिति हो, अथवा

(ख) जिसे बोर्ड ने, जाँच के पश्चात्, जो बोर्ड की इच्छा होने पर बन्द कमरे में की जा सकेगी, बैठक में उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा, व्यवसायिक दुराचरण का दोषी पाया है,

1. म० प्र० अधिनियम क्र. 6 सन् 1975 द्वारा शब्द "दो" के स्थान पर स्थापित तथा दिनांक 1-2-1971 1971 से प्रभावशील ।
2. उपरोक्तानुसार विलुप्त ।
3. उपरोक्तानुसार विलुप्त ।
4. अधिनियम क्र० 6 सन् 1975 द्वारा स्थापित एवं दि० 29-3-1975 से प्राभवशील ।

(ग) जिसे बोर्ड ने, उसकी आपत्तियों की जाँच के पश्चात्, राज्य के व्यवसायी रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण अथवा धारा 28 के अन्तर्गत रखी गई सूची में नामांकन छलपूर्वक प्राप्त करना नियत किया है ।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य के व्यवसायी रजिस्टर से अथवा सूची से जैसी भी स्थिति हो, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का अथवा किसी पंजीबद्ध व्यवसायी का नाम सदैव के लिए अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हटाने के लिये निर्देश दे सकेगा ।

(3) बोर्ड ऐसा निर्देश दे सकेगा कि कोई नाम जो उपधारा (2) के अन्तर्गत हटा दिया गया है उसे ऐसी शर्तो के अध्यधीन पुनःस्थापित कर दिया जाए जो बोर्ड अधिरोपित करना उचित समझे ।

30. सूची का पुनरीक्षण-बोर्ड धारा 28 के अन्तर्गत रखी गई सूची को ऐसे अंतरालों पर ऐसी रीति में पुनरीक्षित कराएगा जो विहित की जाए ।

31. जाँच की प्रक्रिया-धारा 25, 28 और 29 के अन्तर्गत किसी जाँच के अभिप्राय हेतु बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का क्रमांक 1) के अर्थों में, न्यायालय माना जाएगा और लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1950 (1950 का क्रमांक 37) के अन्तर्गत नियुक्त कमिश्नर की प्राप्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेगा और ऐसी जाँच यथा सम्भव लोक सेवक जांच अधिनियम, 1950 (1950 का क्रमांक 37) की धारा 3 और 8 से 20 के उपबन्धों के अनुरूप की जायेगी ।

32. बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील–(1) बोर्ड के धारा 25, 28 तथा 29 के अन्तर्गत प्रत्येक निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य शासन को होगी ।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील सम्बन्धित पक्षकार को ऐसे निर्णय की प्रतिलिपी की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के अन्दर की जाएगी ।

33. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के विशेषाधिकार-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अभिव्यक्ति "विधिक रूप से योग्यता प्राप्त चिकित्सीय व्यवसायी अथवा वैधानिक रूप से योग्यता प्राप्त चिकित्सीय व्यवसायी अथवा कोई अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्ति जो किसी व्यक्ति को विधि अनुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सीय व्यवसाय के रूप में इंगित करे उसमें सम्मिलित है, मध्यप्रदेश में लागू सभी विघटन मण्डल के अधिनियम अथवा केन्द्रीय अधिनियम जहाँ तक यह अधिनियम भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 अथवा 3 में विनिर्दिष्ट किसी मामले से सम्बन्ध रखते हों, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी ।

(2) मान्यता प्राप्त योग्यताएँ प्राप्त व्यक्तियों द्वारा चिकित्सीय व्यवसाय करने के विषय में इस अधिनियम में दी गई शर्तों और पंजीकरणों के अध्यधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय राज्य के व्यवसायी रजिस्टर में प्रविष्ट है, अपनी योग्यताओं के अनुसार राज्य में चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने हेतु, अधिकृत होगा और ऐसे व्यवसाय के विषय में विधि अनुसार औषधियों अथवा अन्य उपकरण के सम्बन्ध में कोई व्यय अथवा खर्चे अथवा ऐसी फीस वसूल करने का अधिकारी होगा, जिसका वह अधिकारी हो ।

(3) किसी अधिनियम द्वारा किसी चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा दिया जाना अपेक्षित कोई प्रमाण-पत्र तभी वैध होगा यदि ऐसा प्रमाण-पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दिया जाय ।

(4) कोई पंजीकृत व्यवसायी, किसी आयुर्वेदिक अथवा यूनानी अथवा प्राकृतिक चिकित्सालय अथवा न्यायालय में अथवा राज्य शासन पर आश्रित अथवा अनुदान प्राप्त चिकित्सालय में जिसमें आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा निदान किया जाता है अथवा किसी सार्वजनिक स्थापना अथवा संस्था संस्थान में, जहाँ ऐसी पद्धति का इलाज होता है, चिकित्सक, सर्जन अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में पद धारण कर सकेगा ।

अध्याय 8
सामान्यत: व्यवसायी

34. इस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के सिवाय किसी व्यक्ति के व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध-तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी-

(एक) कोई व्यक्ति, सिवाय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के अथवा उस व्यक्ति के जिसका नाम धारा 28 के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट है, आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा का व्यवसाय नहीं करेगा अथवा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में यह नहीं बताएगा कि वह व्यवसाय करता है अथवा करने में सक्षम हैं,

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के अतिरिक्त कोई व्यक्ति

(क) तत्समय प्रवृत किसी विधि अथवा नियम द्वारा वैधानिक रूप से योग्यता प्राप्त चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित किया जाना अपेक्षित जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित नहीं करेगा, अथवा

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि अथवा नियम द्वारा किसी वैधानिक रूप से योग्यता प्राप्त चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित किया जाना अपेक्षित चिकित्सा अथवा शरीरिक स्वस्थता प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित नहीं करेगा, अथवा

(ग) किसी जाँच में अथवा न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनयम, 1872 का क्रमांक 1) की धारा 45 के अन्तर्गत किसी विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य नहीं देगा ।

35. दण्ड-जो कोई भी जानबूझकर अथवा असत्यपूर्ण ढंग से किसी भी प्रकार की पदवी अपने नाम के साथ जोड़ता है जिससे यह आ भास हो कि वह कोई मान्यता प्राप्त योग्यता धारण करता है अथवा वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है अथवा उसका नाम धारा 28 के अन्तर्गत रखी गई सूची में प्रविष्ट है अथवा यदि वह धारा 34 के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करता है तो वह अर्थदण्ड से प्रथम बार अपराध हेतु, जो 500 रुपये तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध हेतु अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा ।

अध्याय 9
विविध

36. राज्य शासन द्वारा नियंत्रण-यदि किसी समय राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता हे कि बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों में से किसी का उपयोग नहीं किया है अथवा शक्तियों से बढ़कर उपयोग किया है अथवा उनका दुरुपयोग किया है अथवा इस अधिनियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन नहीं किया है तो राज्य शासन, यदि वह ऐसी असफलता, अनाधिकार अथवा दुरुपयोग को गम्भीर प्रकृति का मान्यता है उसके ब्यौरे बोर्ड को सूचित करेगा और यदि बोर्ड ऐसी असफलता अनाधिकार अथवा दुरुपयोग का निराकण ऐसी अवधि में नहीं करता है जो राज्य शासन इस हेतु नियत करे तो राज्य शासन बोर्ड को भंग कर सकेगा और बोर्ड की समस्त अथवा किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पात्रन ऐसे व्यक्ति द्वारा और 2 वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि हेतु, करा सकेगा जैसी उसे उचित प्रतीत हो और नये बोर्ड का गठन करने हेतु कदम उठायेगा ।

[1]**[37 अनुसूची का संशोधन-**भारत में कोई विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा संस्था, जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति अथवा प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सीय योग्यता प्रदान करता है जिसका नाम अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है राज्य शासन को ऐसी योग्यता को मान्यता दिलाने हेतु आवेदन कर सकेगा और राज्य शासन बोर्ड से सलाह लेने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा अनुसूची में इस प्रकार संशोधन कर सकेगा ताकि उसमें ऐसी योग्यता सम्मिलित की जा सके और ऐसी कोई अधिसूचना यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसी चिकित्सीय योग्यता मान्यता प्राप्त योग्यता हो जायेगी, जो विनिर्दिष्ट दिनांक के पश्चात् प्रदान की जागे ।

38 बोर्ड के कर्मचारी को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बुलाने पर प्रतिबन्ध-बोर्ड के किसी सदस्य अथवा अधिकारी अथवा कर्मचारी को, किसी वैधानिक कार्यवाही में जिसका बोर्ड एक पक्षकार नहीं है, कोई रजिस्टर अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अथवा उसमें प्रविष्ट बातों को सिद्ध करने हेतु साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने के लिये अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों हेतु ऐसा निर्देश न दे ।

39. इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण-इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गये किन्हीं नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक

किये गये किसी कार्य अथवा करने के अभिप्राय हेतु कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही नहीं चलेगी ।

40. इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण करने अथवा संज्ञान लेने में सक्षम न्यायालय- (1) प्रथम श्रेणी दण्ड न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का न तो संज्ञान लेगा और न उसका परीक्षण. करेगा ।

(2) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय राज्य शासन द्वारा इस हेतु सशक्त किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत पर ।

41. जाँच पड़ताल पर कार्य करने से मुक्ति-तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, यदि वह ऐसा चाहे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का क्रमांक 5) के अन्तर्गत किसी जांच पड़ताल में अथवा जूरी सदस्य के रूप में अथवा मूल्यांकन के रूप में कार्य करने से मुक्त रहेगा ।

अध्याय 10
नियम और विनियम

42. नियम बनाने की शक्ति-(1) राज्य शासन, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अभिप्रायों को कार्यरूप देने हेतु नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्ट और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य शासन निम्न उपबन्धों हेतु नियम बना सकेगा-

(क) वह रीति जिसमें धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा,
(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्वाचन की प्रक्रिया,
(ग) वह अवधि जिसके अन्दर बोर्ड के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विवाद धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य शासन को अग्रेषित किया जायेगा,
(घ) यात्रा एवं अन्य भत्ते जिनके लिये बोर्ड के सदस्य धारा 18 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिकारी होंगे,
(ङ) वह रीति जिसमें धारा 19 की उपधारा (2) की कंडिका (ख) के अन्तर्गत अपील की सुनवाई और इस पर निर्णय दिया जायेगा,
(च) धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के विषय में योग्यतायें, नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें और वेतनमान,
(छ) वह रीति जिसमें राज्य का व्यवसायी रजिस्टर धारा 21 की उपधारा (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार द्वारा पुनरीक्षित होगा,
(ज) वह रीति जिसमें किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम राज्य के व्यवसायी रजिस्टर से हटाने के तथ्य का प्रकाशन धारा 21 की उपधारा (4) क्ते अन्तर्गत किया जायेगा,
(झ) वह रीति जिसमें राज्य का व्यवसायी रजिस्टर धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा

रखा जाएगा,

(ञ) योग्यता का प्रमाण जिसके प्रस्तुत किये जाने पर और शुल्क जिसके भुगतान पर कोई व्यक्ति राज्य के व्यवसायी रजिस्टर में नामांकित किये जाने की धारा 23 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पात्र होगा,

(ट) वह रीति जिसमें धारा 26 के अन्तर्गत राज्य के व्यवसायी रजिस्टर में आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति अथया प्राकृतिक चिकित्सा में किसी पदवी, डिप्लोमा अथवा अन्य योग्यता की प्रविष्टि हेतु आवेदन किया जायेगा,

(ठ) प्रारूप जिसमें और शुल्क जिसके साथ धारा 28 की उपधारा (2) के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की सूची में किसी व्यवसायी की सूची में किसी व्यवसायी का नाम चढ़ाने हेतु आवेदन किया जायेगा, और

(ड) वह अन्तराल जिनमें व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की सूची धारा 30 के अन्तर्गत पुनरीक्षित होगी ।

(3) इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

43. विनियम बनाने की शक्ति–(1) बोर्ड इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्ट एवं पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्न हेतु उपबन्ध हो सकेगें-

(क) बोर्ड की सम्पत्ति का रख-रखाव और लेखाओं को रखना और उनका अंकेक्षण;

(ख) बोर्ड की बैठक का बुलाया जाना और उसका आयोजन, वह समय और स्थान जहाँ ऐसी बैठकें आयोजित की जायेंगी, उसमें कार्य का संचालन;

(ग) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्त्तव्य;

(घ) समितियों की नियुक्त, बैठकों का बुलाया जाना और उनके आयोजन की प्रक्रिया और ऐसी समितियों के कार्य का संचालन;

(ड) रजिस्ट्रार के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य कर्मचारियों और कर्मचारियों का कार्यकाल और उनकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य और सेवा की अन्य शर्तें;

(च) ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग तथा उसके कर्तव्यों और कार्यो के निष्पादन हेतु आवश्यक हो ।

अध्याय 11
निरसन

44. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और बचाव-(1) धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना में बोर्ड की स्थापना हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक से निम्न प्रभाव होंगे, अर्थात-

(क) मध्य प्रान्त एवं बरार आयुर्वेदिक तथा यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1947 (1948 का क्रमांक 4) मध्यभारत भारतीय औषधि अधिनियम, सम्वत् 7 (1952 का क्रमांक 28) और

चिकित्सीय व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1935 (भोपात्र 1935 का क्रमांक 7) जहाँ तक इनका सम्बन्ध आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से है, निरसित हो जाएंगे,

(ख) मध्यभारत भारतीय औषधि बोर्ड और महाकौशल आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड भंग हो जायेंगे,

(ग) चिकित्सीय व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1935 (भोपात्र 1935 का क्रमांक 7) की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सा परिषद का, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उसके रजिस्टर में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों से है, क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा,

(घ) कंडिका (ख) में उल्लिखित ब्रोर्ड का समस्त देना-पावना धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड के स्वामित्व में चला जाएगा और उसका देना-पावना माना जायेगा;

(ड) ऐसे समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जो कंडिका (क) के अन्तर्गत निरसित अधिनियमों में से किसी के अन्तर्गत अथवा राजस्थान भारतीय औषधि अधिनियम, 1953 (1953 का क्रमांक 5) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हैं और मध्यप्रदेश में निवास करते हैं, राज्य के व्यवसायी रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के रूप में नामांकित माने जायेंगे,

(च) वे सब कर्मचारी, जो उपरोक्त दिनांक के पूर्व कंडिका (ख) में उल्लिखित बोर्डों में कार्य करते थे अथवा उनके नियन्त्रण में थे, धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड के कर्मचारी माने जायेंगे;

परन्तु प्रावधान यह है कि ऐसे कर्मचारियों की सेवा के अनुबन्ध एवं शर्ते तब तक वही रहेगी जब तक बोर्ड द्वारा राज्य शासन की पूर्वानुमति से परिवर्तित न कर दी जायें;

यह भी प्रावधान है कि राज्य शासन द्वारा पूर्ववर्ती परन्तुक के अन्तर्गत तब तक कोई अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक उससे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाय ।

(छ) कंडिका (ख) में बोर्ड के स्वामित्व में समस्त रिकार्ड तथा दस्तावेज, धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड में निहित और उसके कक्ष में अंतरित हो जाएँगे ।

(2) उपधारा (1) की खंड (क) में उल्लिखित अधिनियमितियों का निरसन होते हुये भी समस्त व्यक्ति जो धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दिनांक के तुरन्त पूर्व मध्य प्रान्त एवं बरार आयुर्वेदिक तथा यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1947 (1948 का क्रमांक 4) की धारा 2 की कंडिका (9) में यथा परिभाषित किसी योग्यता परीक्षा हेतु कोई पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे थे अथवा मध्यभारत भारतीय औषधि अधिनियम, सम्वत् 2007 (1952 का क्रमांक 28) की धारा 32 के अन्तर्गत विहित किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे थे अध्ययन चालू रखने और उस परीक्षा में बैठने के अधिकारी होंगे जिसकी वे तैयारी कर रहे थे और उस अभिप्राय हेतु, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी-

(एक) धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड, उपधारा (1) की कंडिका ख) के अन्तर्गत भंग किये गये बोर्ड की समस्त शक्तियों का उपयोग करेगा और उसके समस्त कार्यों का निष्पादन करेगा, और

(दो) मध्य प्रान्त एवं बरार आयुर्वेदिक तथा यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1947 (1948 का क्रमांक 4) की धारा 22 के अन्तर्गत प्राधिकृत अथवा मध्यभारत भारतीय औषधि बोर्ड से

सम्बद्ध संस्थाएँ तब तक कार्य करती रहेंगी, जब तक ऐसे व्यक्तियों का अंतिम समूह परीक्षा में न बैठ जाये और उसके 1 वर्ष बाद तक की अवधि हेतु, जैसे कि उक्त अधिनियम निरसित न.हुये हों और धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड उक्त निरसित अबिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किया गया हो ।

45. अध्यादेश क्रमांक 14 सन् 1970 का निरसन-मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अध्यादेश, 1970 (1970 का क्रमांक 14) एतद्वारा निरसित किया जाता है |

अनुसूची

[धारा 2 (ऐ) देखिये]

भाग 'अ'

राज्य के विश्वधिद्यालयों अथबा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा में मान्यता प्राप्त योग्यताएँ

क्रमांक	विश्वविद्यालय अथवा संस्था का नाम	मान्यता प्राप्त योग्यताएँ	रजिस्ट्रीकरण हेतु संक्षेपण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सागर विश्वविद्यालय, सागर	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक	बी० ए० एम० एस०
2.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी० ए० एम० एस०
3.	रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक	बी० ए० एम० एस०
4.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी० ए० एम० एस०
5.	इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक	बी० ए० एम० एस०
6.	जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी० ए० एम० एस०
7.	बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, मध्यभारत, ग्वालियर	आयुर्वेदविज्ञानाचार्य भिषागाचार्य	बी० ए० एम० एस० भिषागाचार्य
8.	अ. मध्यप्रदेश बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम्स आफ मेडिसिन एण्ड नेचुरोपेथी	आयुर्वेदविज्ञानाचार्य	बी० ए० एम० एस० (नवम्बर 1978 के पश्चात् बी० ए० एम० एस०) अधिनियम क्रमांक 9 सन् 1979 द्वारा प्रतिस्थापित)
9.	महाकौशल बोर्ड आफ आयु-वैदिक एण्ड यूनानी सिस्टम्स आफ मेडिसिन, जबलपुर	लाइसेंसिएट आयुर्वेदिक प्रेक्टिशनर	एल०ए०पी०
10.	आयुर्वेदिक कालेज, ग्वालियर	अयुर्वेदोपाध्याय वैद्यवर वैद्यशास्त्री	आयुर्वेदोपाध्याय वैद्यवर वैद्यशास्त्री
11.	अष्टांग आयुर्वेदिक विद्यालय, उज्जैन	वैद्यवाचस्पति	वैद्यवाचस्पति
12.	बोर्ड आफ एक्जमिनर्स, भोपात्र	हकीम कामिल	हकीम कामिल

भाग 'ब'

राज्य/देश से बाहर के विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा में मान्यता प्राप्त योग्यताएं

आन्ध्र प्रदेश			
13.	आन्ध्र विश्वविद्यालय	तबीब-कामिल	तबीब-कामिल
14	निजामिया आयुर्वेदिक कालेज, हैदराबाद	तबीब-ए-मुस्तनिद	तबीब-ए-मुस्तनिद
आसाम			
15.	बोर्ड आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आसाम	ग्रेज्युएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एण्ड सर्जरी डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी०ए०एम०एस० जी०ए०एम०एस०
बिहार			
16.	स्टेट फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन, बिहार	ग्रेज्युएट इन यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी ग्रेज्युएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी०ए०एम०एस० जी०ए०एम०एस०
दिल्ली			
17.	बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मेडिसिन्स, दिल्ली	बैचिलर आफ इण्डियन मेडिसिन एण्ड सर्जरी फाजिल-ए-तिब्बो-जराहत भीषागाचार्य-धन्वन्तरी	जी०ए०एम०एस० फाजिल-ए-तिब्बो-जराहत भीषागाचार्य-धन्वन्तरी
18.	आल इण्डिया आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली	आयुर्वेदाचार्य वैद्याचार्य आयुर्वेदविशारह आयुर्वेदभीषक प्रजावैद्य-परीक्षा	आयुर्वेदाचार्य वैद्याचार्य आयुर्वेदविशारद प्रजावैद्य-परीक्षा
19.	बनवारी आयुर्वेदिक कालेज, दिल्ली	आयुर्वेदाचार्य भिषागाचार्य वैद्यविशारद	आयुर्वेदाचार्य भिषागाचार्य वैद्यविशारद
गुजरात			
20.	गुजरात विश्वविद्यालय	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी०ए०एम०एस०
21.	फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मेडिसिन्स	ग्रेज्युएट आफ दि फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन	जी०ए०एम०एस०

22.	श्रावण मास दक्षिणा, बडौदा	आयुर्वेद उत्तमा आयुर्वेद मध्यमा	आयुर्वेद उत्तमा आयुर्वेद मध्यमा
		जम्मू एंड कश्मीर	
23.	डायरेक्टर आफ हेल्थ सर्विसेज	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी०ए०एम०एस० बी०ए०एम०एस०
		केरल	
24.	केरल विश्वविद्यालय	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन बैचिलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन	डी०ए०एम० बी०ए०एम०
25.	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, लावनकोर	वैद्य-शास्त्री वैद्य-कलानिधि	वैद्य-शास्त्री वैद्य-कलानिधि
		महाराष्ट्र	
26.	स्टेट फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक, महाराष्ट्र	ग्रेज्युएट आफ दि फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन	जी० एफ० ए० एम०
27.	फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मेडिसिन, बम्बई	आयुर्वेद-विशारद मेम्बर आफ दि फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ग्रेज्युएट आफ दि फेकल्टी आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन	आयुर्वेद-विशारद एम०एफ० एम० एस०
28.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी०एफ०ए०एम०
29.	पूना विश्वविद्यालय	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी०एफ०ए०एम०
30.	आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदाबाद	आयुर्वेद तीर्थ	आयुर्वेद तीर्थ
31.	आर्यन्गल वैद्यक महाविद्यालय, सतारा	आयुर्वेद विशारद	आयुर्वेद विशारद
32.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना	आयुर्वेद विशारद	आयुर्वेद विशारद
33.	विदर्भ आयुर्वेदिक कालेज, अमरावती	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी०ए०एम०एस०
34.	गुरुदेव आयुर्वेदिक मन्दिर, मऊझरी	आयुर्वेद सेवा पारंगत	आयुर्वेद सेवा पारंगत
		मैसूर	
35	बोर्ड आफ स्टडीज इन इण्डियन	ग्रेज्युएट आफ दि कालेज	जी०सी०ए०एम०

	मेडिसिन, मैसूर	आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइसेंससिएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	एल०ए०एम०एस०
		उड़ीसा	
36	फेकल्टी आफ इण्डियन मेडिसिन, उड़ीसा	बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी० ए० एम० एस०
37	आयुर्वेदिक एक्जामिनेशन बोर्ड, उड़ीसा	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	डी० ए० एम० एस०
		पंजाब	
38	फेकल्टी आफ इण्डियन मेडिसिन, पंजाब	ग्रेज्ग्रुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	जी० ए० एम० एस०
39	भूपेन्द्र तिबिया, पटियाला	हजीक-उल-हुकमा आयुर्वेदाचार्य	हजीक-उल-हुकमा आयुर्वेदाचार्य
		राजस्थान	
40	राजस्थान गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट	भिषगवार	भिषगवार
41	आयर्वेदिक डिपार्टमेंट एक्जामिनेशन, राजस्थान	भिषागाचार्य	भिषागाचार्य
42	महाराजा कालेज आफ आयुर्वेद, जयपुर	शास्त्री-आचार्य	शास्त्री-आचार्य
		तमिलनाडु	
43	मद्रास विश्वविद्यालय	तबीब-कामिल	तबीब-कामिल
44	वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	आयुर्वेद-शिरोमणि तबीब-कामिल	आयुर्वेद-शिरोमणि तबीब-कामिल
45	बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, मद्रास	ग्रेज्युएट आफ दि कालेज आफ इन्डाईजीनियस मेडिसिन फेलो आफ इण्डाइजीनियस मेडिसिन हाई प्राफीसिएन्सी इन इण्डियन मेडिसिन एसोसिएट आफ इण्डाइजीनियस मेडिसिन	जी० सी० आई० एम० एफ०आई०एम० जी०पी०आई०एम० ए०आई०एम०
46	बोर्ड आफ एक्जामिनेशन्स इन इण्डाइजीनियस मेडिसिन, मद्रास	लाइसेंसिएट आफ इण्डियन मेडिसिन	एल०आई०एम०
47	मद्रास आयुर्वेदिक कालेज,	आयुर्वेद-भूषण	आयुर्वेद-भूषण

	मद्रास		
उत्तरप्रदेश			
48	लखनऊ विश्वविद्यालय	आयुर्वेदाचार्य, बैचिलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचिलर आफ सर्जरी आयुर्वेदाचार्य बैचिलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	आयुर्वेदाचार्य, बी.एम.बी.एस. आयुर्वेदाचार्य बी.ए.एम.एस
49	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	आयुर्वेदाचार्य विथ माडर्न मेडिसिन एण्ड सर्जरी आयुर्वेदाचार्य विथ बैचिलर आफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी	ए.एम.एस. ए.बी.एम.एस.
50	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	आयुर्वेदालंकार	आयुर्वेदालंकार
51	बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, यू० पी०	आयुर्वेदाचार्य बैचिलर आफ इण्डियन मेडिसिन एण्ड सर्जरी फाजील-उल-तिब बैचिलर आफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी डिप्लोमा आफ इण्डाइजीनियस मेडिसिन एण्ड सर्जरी आयुर्वेदाचार्य, बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी आयुर्वेदालकार	आयुर्वेदाचार्य बी०आई०एम०एस० एफ०एम०बी०एस० डी०आई०एम०एस० ए०एम०बी०एस० आयुर्वेदलंकर
52	ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार	वैद्य शास्त्री वैद्य विशारद	वैद्य शास्त्री वैद्य विशारद
53	आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत	वैद्य भूषण वैद्यराज	वैद्य भूषण वैद्यराज
54	बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी	वैद्य भूषण	वैद्य भूषण
55	तकमील-उल-तिब कालेज, लखनऊ	बैचलर आफ इण्डियन मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी०आई०एम०एस०
57	मुब्बा-उ-तिब कालेज, लखनऊ	उपाधि-परीक्षा	उपाधि-परीक्षा
58	गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार	आयुर्वेदिक भास्कर	आयुर्वेदिक भास्कर
59	तिब्बिया कालेज,	मुब्बा-उ-तिब	मुब्बा-उ-तिब

	लखनऊ		
60	उत्तरप्रदेश बोर्ड, लखनऊ	द्विवर्षीय कोर्स	द्विवर्षीय कोर्स
61	गुरुकुल विद्यालय, बृन्दावन	डिप्लोमा इन आयुर्वेद	डिप्लोमा इन आयुर्वेद
62	इलाहाबाद यूनानी मेडिकल कालेज	डिप्लोमा इन यूनानी मेडिसिन	डिप्लोमा इन यूनानी मेडिसिन
63	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी०यू०एम०एफ०
		पश्चिम बंगाल	
64	सेण्ट्रल कौंसिल एण्ड स्टेट फेकल्टी आफ आयर्वेदिक मेडिसिन वाईन बंगाल	मेम्बर आफ दि, आयुर्वेदिक स्टेट फेकल्टी, आयुर्वेद-तीर्थ	एम०ए०एस०एफ० आयुर्वेद-तीर्थ
65	यामिनीभूषण अष्टाँग आयुर्वेदिक कालेज, कलकत्ता	भीषागरत्न, लाइसेंसिएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	भीषागरत्न, एल०ए०एम०एस०
		पाकिस्तान	
66	सनातन धर्म प्रेमगिरि आयुर्वेदिक कालेज, लाहौर	कविराज आयुर्वेदाचार्य	कविराज आयुर्वेदाचार्य
67	दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, लाहौर	वैद्यवाचस्पति वैद्य कविराज	वैद्यवाचस्पति वैद्य कविराज
68	तिब्बी कालेज, लाहौर	जुबा-स्तुव हुकमा हकीम-ए-हाजिक	जुबा-स्तुव हुकमा हकीम-ए-हाजिक